संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./सामा.निर्देश/2019/ 535 भोपाल, दिनांक 07/09/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
3. अस्पताल अधीक्षक, सिविल अस्पताल – बैरागढ़ (भोपाल), के एन काटजू (भोपाल), जेएसआर इटारसी (होशंगाबाद) एवं रानी दुर्गावती (जबलपुर), मध्य प्रदेश

विषय : विभिन्न मास्टर्स प्रोग्राम एवं पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश बाबद्।

विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों जैसे – एन.आई.एच.एफ.डब्लू, इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ पब्लिक हैल्थ, गांधीनगर एवं दिल्ली, आई.आई.एच.एम.आर. यूनिवर्सिटी, जयपुर, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साईंस, मुम्बई एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, मुम्बई आदि में पब्लिक हैल्थ मेनेजमेंट, अस्पताल प्रशासन एवं अस्पताल प्रबंधन जैसे विषयों में मास्टर्स प्रोग्राम एवं पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाते है। इन पाठ्क्रमों में प्रवेश हेतु चयन का मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. एम.पी.एच. एवं पी.जी.डी.पी.एच.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य निर्देश –

1.1 एम.पी.एच. पाठ्यक्रम में केवल सेवारात नियमित चिकित्सा अधिकारी एवं दंत चिकित्सा अधिकारी प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे ।

1.2 पी.जी.डी.पी.एच.एम. पाठ्यक्रम में सेवारात नियमित एवं संविदा चिकित्सा अधिकारी एवं दंत चिकित्सा अधिकारी प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे ।

1.3 टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साईंस, मुम्बई द्वारा संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (कांटैक्ट प्रोग्राम) में संविदा सलाहकार एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक भी प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

1.4 उक्त पाठ्यक्रमों हेतु निधार्रित शिक्षण शुल्क का भुगतान विभाग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से किया जाएगा। एम.पी.एच. पाठ्यक्रम हेतु आवसीय शुल्क का भुगतान संबंधित चिकित्सा अधिकारी को स्वयं वहन करना होगा।

1.5 पाठ्यक्रम अवधी के दौरान प्रायोजित नियमित चिकित्सा अधिकारियों को संचालनालय से वेतन प्रदान किया जाएगा एवं प्रायोजित संविदा चिकित्सा अधिकारियों को निम्नानुसार दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा –

1.5.1 प्रथम वर्ष में – रुपये 55,000 प्रति माह

1.5.2 द्वितीय वर्ष में – रुपये 57,000 प्रति माह

1.6 चयनित सेवारत चिकित्सा अधिकारी को निम्नानुसार बंध पत्र का निष्पादन करना होगा –

1.6.1 एम.पी.एच. पाठ्यक्रम पूर्ण नही करने पर राशि रुपये दस लाख एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात 3 वर्ष तक शासन द्वारा निर्दिष्ठ स्थान पर सेवा करने हेतु राशि रुपये बीस लाख का नोटरी द्वारा सत्यापित बंध पत्र।

1.6.2 पी.जी.डी.पी.एच.एम. पाठ्यक्रम पूर्ण नही करने पर राशि रुपये पांच लाख एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात 3 वर्ष तक शासन द्वारा निर्दिष्ठ स्थान पर सेवा करने हेतु राशि रुपये दस लाख का नोटरी द्वारा सत्यापित बंध पत्र।

1.6.3 टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साईंस, मुम्बई पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (कांटैक्ट प्रोग्राम) पूर्ण नही करने पर प्रशिक्षण पर हुए व्यय की संपूर्ण राशि संबंधित चिकित्सा अधिकारी से वसूली योग्य होगी, के संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित बंध पत्र।

1.7 यदि आवेदक चिकित्सा अधिकारी को पूर्व में पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया हो तो उन्हे उक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रायोजित नही किया जाएगा।

1.8 उक्त पाठ्यक्रम हेतु चयन होने पर चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रवेश नही लेने पर भुगतान की गई शिक्षण शुल्क की राशि उनसे वसूली योग्य होगी एवं उन्हे भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम हेतु पात्रता नही होगी।

2. नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संर्वग के लिये डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम –

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, मुम्बई द्वारा विभिन्न नर्सिंग एवं पैरा-मेडिकल संवर्ग के लिये एक वर्षीय डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाते है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

2.1 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सेवारात नियमित नर्सिंग एवं पैरा-मेडिकल संर्वग के कर्मचारियों को प्रवेश की पात्रता होगी ।

2.2 आवेदक कर्मचारी का आवेदन संचालनालय स्तर पर प्राप्त होने पर ही चयन हेतु विचार किया जाएगा एवं केवल चयनित कर्मचारी को ही विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।

2.3 यदि कर्मचारी को पूर्व में किसी अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया गया हो तो उसे इस पाठ्क्रम हेतु प्रायोजित नही किया जाएगा।

2.4 पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात कर्मचारी को विभाग के तहत किसी भी संस्था में पदस्थ किया जा सकता है।

3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

3.1 आवेदक कर्मचारी की अधिकतम आयु दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए।

3.2 आवेदक कर्मचारी को दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में नियमित सेवा का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

3.3 अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर संचालनालय स्तर पर समिति के द्वारा चयन किया जाएगा।

3.4 आवेदक कर्मचारी का विगत 02 वर्षों का सेवा विवरण बहुत अच्छा/उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए।

3.5 आवेदक कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

3.6 किसी भी स्थिति में आवेदक कर्मचारी की आयु सीमा एवं अनुभव की शर्त को शिथिल नही किया जाएगा।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भी उपरोक्तानुसार ही शर्तें लागू रहेंगी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अंतिमरुप से चयन संचालनालय की प्रशिक्षण समिति द्वारा किया जाएगा ।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं प. क.
द्वारा अनुमोदित

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./सामा.निर्देश/2019/ 536 भोपाल, दिनांक 07/09/2019

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश ।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, प्रशासन/प्रशिक्षण, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
7. समस्त उप संचालक/कार्यक्रम अधिकारी ।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश